

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल।

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2018

श्रम अनुभाग

विषय:— वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत प्रथम अनुपूरक की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या 125/बजट(अनुपू.)/02017-18, दिनांक 11.01.2018 एवं वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 27.12.2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये श्रम विभाग हेतु स्वीकृत प्रथम अनुपूरक बजट की कुल प्रावधानित धनराशि: ₹ 67,00,000.00 (रूपये सड़सठ लाख मात्र) के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या 34/VIII/18-47/(श्रम)/2014-टी.सी., दिनांक 15.01.2018 के माध्यम से ₹ 58,00,000.00 (रूपये अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने के साथ ही उक्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, के क्रम में अवशेष धनराशि ₹ 9,00,000.00 (रूपये नौ लाख मात्र) को संलग्न आई.डी. के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने के साथ ही उक्त धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या 610/3(50)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध एवं शर्त के साथ आपके अधीन रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुरस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के क्रमशः अनुदान संख्या: 16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230 के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

5. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2017-18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

6. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या:- 183 (1)/VIII/18-47(श्रम)/2014-टी.सी., तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एन.पन्त)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Labour (S027)

आवंटन पत्र संख्या - 34/VIII/18-47(Shram)/2014-TC

अलोटमेंट आई डी - S1801160406

अनुदान संख्या - 016

आवंटन पत्र दिनांक - 25-Jan-2018

HOD Name - Labour Commissioner (4620)

1: लेखा शीर्षक	2230 - श्रम तथा रोजगार	01 - श्रम
	101 - औद्योगिक संबंध	
	03 - विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन	
	00 - विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	60065000	0	60065000
02 - मजदूरी	150000	0	150000
03 - महंगाई भत्ता	3544000	0	3544000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
05 - स्थातान्तरण यात्रा व्यय	60000	0	60000
06 - अन्य गने	4134000	0	4134000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	220000	0	220000
09 - विद्युत देय	350000	0	350000
10 - जलकर / जल प्रभार	60000	0	60000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	160000	0	160000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80000	0	80000
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	0	150000
15 - गाड़ियों का अंतरक्षण और पेट	1300000	0	1300000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3000000	500000	3500000
17 - किराया, उपशान्क और कर-स्व	500000	0	500000
18 - प्रकाशन	20000	0	20000
19 - विज्ञापन, विक्री और विख्यापन	10000	0	10000
22 - आतिथ्य व्यय विपयक भत्ता आ	20000	0	20000
25 - लघु निर्माण कार्य	100000	0	100000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	70000	0	70000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	900000	0	900000
29 - अंतरक्षण	60000	0	60000
42 - अन्य व्यय	50000	0	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	25000	0	25000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	70000	0	70000
47 - कम्प्यूटर अंतरक्षण/तस्मन्वन्धी	100000	0	100000
	75398000	500000	75898000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

500000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Labour (S027)

आवंटन पत्र संख्या - 34/VIII/18-47(Shram)/2014-TC

अनुदान संख्या - 016

अलोटमेंट आई डी - S1801160407

आवंटन पत्र दिनांक - 25-Jan-2018

HOD Name - Labour Commissioner (4620)

1: लेखा शीर्षक

2230 - श्रम तथा रोजगार.

01 - श्रम

102 - कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा

03 - निरीक्षण अधिष्ठान

00 - निरीक्षण अधिष्ठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	7875000	0	7875000
02 - मजदूरी	150000	0	150000
03 - महंगाई भत्ता	412000	0	412000
04 - यात्रा व्यय	10000	0	10000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30000	0	30000
06 - अन्य भत्ते	481000	0	481000
07 - मानदेय	10000	0	10000
08 - कार्यालय व्यय	50000	0	50000
09 - विद्युत देय	25000	0	25000
10 - जनकर / जल प्रभार	30000	0	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	60000	0	60000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	0	50000
13 - टेलीफोन पर व्यय	60000	0	60000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	200000	0	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	500000	300000	800000
18 - प्रकाशन	10000	0	10000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विक्रयपन	50000	0	50000
22 - अनिश्चित व्यय विषयक भत्ता आ	15000	0	15000
26 - मशीनें और मज्जा / उपकरण औ	50000	0	50000
27 - बिक्रिस्ता व्यय प्रतिपूर्ति	150000	100000	250000
29 - अनुरक्षण	50000	0	50000
42 - अन्य व्यय	25000	0	25000
44 - प्रशिक्षण व्यय	25000	0	25000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	50000	0	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	80000	0	80000
	10498000	400000	10898000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

400000